

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति- 2011 के अंतर्गत सर्वश्री रोजमेरी सॉलभेन्ट प्रा० लि०, कुरारी, दुर्गावती, कैमूर को ₹4,42,988.00 (चार लाख बियालीस हजार नौ सौ अठासी रूपए मात्र) अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक ईकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-19.12.18 में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 213 दिनांक 10.01.19 के आलोक में सर्वश्री रोजमेरी सॉलभेन्ट प्रा० लि०, कुरारी, दुर्गावती, कैमूर को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ₹4,42,988.00 (चार लाख बियालीस हजार नौ सौ अठासी रूपए मात्र) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।
- (iii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पाँच वर्षों तक भूमि की बिक्री/लीज/हस्तानांतरण नहीं किया जाएगा।

2. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं०-2060 दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं०- 05 / DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2852- उद्योग, उप मुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या-23, उप शीर्ष- 0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0160.33 01 सब्सिडी में आवंटित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री यश लक्ष्मी सॉलभेन्ट प्रा० लि०, कुरारी, दुर्गावती, कैमूर को भुगतान **Punjab National Bank, Mahmoorganj, Varanasi Branch** के खाता संख्या- **1868008700001087 IFS Code-PUNB0186800** में **RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सर्वश्री यश लक्ष्मी सॉलभेन्ट प्रा० लि०, कुरारी, दुर्गावती, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना